<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी – जया सैनी, आर.जे.एस.

निर्णय दिनांक – 24.03.2025

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 820/2014

CIS No. – REG. CRI. CASE/820/2014

CNR No. – RJJH020004392012

सरकार बनाम बुद्धराम

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–116/2011, पुलिस थाना सदर, झुंझुनूं

अपराध अंतर्गत धारा–457, 380 भारतीय दण्ड संहिता

<u>भाग–प्रथम</u>

A

परिवादी	मकबूल पुत्र केशर देव चौपदार, निवासी वार्ड नम्बर 16 मुकुंदगढ़, जिला झुंझुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1. बुद्धराम पुत्र रोहिताश जाट, उम्र 25 साल, निवासी कुशलवाली ढाणी, पुलिस थाना नीम का थाना, जिला सीकर (राज.) 2. सुमेर पुत्र महावीर मीणा, उम्र 22 साल, निवासी बाढ की ढाणी तन दलेलपुरा, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.) **(मफरूर)** 3. महेंद्र सिंह पुत्र गोकुलचंद, उम्र 22 साल, निवासी चैनसिंह की ढाणी तन सफरागवार, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.) **(मफरूर)** 4. राजेश उर्फ पप्पू पुत्र फुलाराम मीणा, उम्र 26 साल, निवासी दलेलपुरा, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.) **(मफरूर)** 5. महेंद्र सिंह पुत्र कृष्ण कुमार, उम्र 22 साल, निवासी बाढ की ढाणी तन दलेलपुरा, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.) **(कार्यवाही उमशमनित)**
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री सुभाष मीणा

B

अपराध की दिनांक	21.07.2011 व 22.07.2011 के मध्य किसी समय
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	23.07.2011
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	07.01.2012
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	18.03.2025
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	30.10.2017
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	--
निर्णय दिनांक	20.03.2025
दण्डादेश की दिनांक	--

C

अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	बुद्धराम	06.08.11	12.08.11	457, 380 IPC	दोषमुक्त	--	--
02	सुमेर	13.11.11	22.11.11	457, 380 IPC	**मफरूर**		

03	महेंद्र सिंह पुत्र कृष्ण	12.12.11	24.12.11	457, 380 IPC	**कार्यवाही उपशमनित (20.09.2017)**
04	महेंद्र सिंह पुत्र गोकुल चंद	23.01.12	03.02.12	457, 380 IPC	**मफरूर**
05	राजेश उर्फ पप्पू	24.08.12	19.09.12	457, 380 IPC	**मफरूर**

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	मकबूल	एफआईआर बाबत
पी.डब्ल्यू 2	दयाचंद	तस्दीक घटनास्थल, जब्ती शराब
पी.डब्ल्यू 3	मुकेश कुमार	गवाह नक्शा मौका, तस्दीक नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू 4	प्रदीप कुमार	नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू 5	जगदीश प्रसाद	कायमी एफआईआर गिरफ्तारी बाबत

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	–––	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02	प्रथम सूचना रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी.03	नक्शा मौका घटनास्थल
04	प्रदर्श पी.04	अपराध विवरण फार्म
05	प्रदर्श पी.05	फर्द जप्ती शराब
06	प्रदर्श पी.06	अपराध विवरण फार्म
07	प्रदर्श पी.07	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी
08	प्रदर्श पी.08	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

1. पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं/श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के आदेश से न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं से अंतरित होकर दिनांक 10.10.2024 को तलबी मुलजिम के प्रक्रम पर हाजा न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. इस आदेश द्वारा अभियुक्त बुद्धराम की हद तक विचारण किया जा रहा है। प्रकरण के अन्य अभियुक्त महेंद्र सिंह पुत्र कृष्ण की मृत्यु होने के कारण उक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 20.09.2017 को आपराधिक कार्यवाही उपमशमनित की गई। अन्य अभियुक्तगण सुमेर, महेंद्र पुत्र गोकुल एवं राजेश उर्फ पप्पू प्रकरण में मफरूर हैं।

3. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि परिवादी मकबूल ने दिनांक 23.07.2011 को एक हस्तलिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सदर, झुंझुनूं में इस आशय की पेश की कि कुलोद खुर्द ग्राम पंचायत खाजपुर नया में अंग्रेजी व देशी शराब का ठेका है। उसमें वह सेल्समैन का काम करता है। जिसको वह 21.07.2011 की रात 08 पीएम पर बंद कर पड़ोसी रवि के घर सोने चला गया था। 22.07.2011 की सुबह 06 एएम पर आकर देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। उसके बाद उसने ठेकेदार को फोन पर बताया ठेकेदार ने आकर देखा तो दुकान में से 30 पेटी देशी, 6 पेटी अंग्रेजी व 2 पेटी बीयर व 1000–1200 रूपए खुले गायब थे...इत्यादि।

4. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना-सदर, झुंझुनूं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-116/2011 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया एवं तत्पश्चात अन्य आवश्यक नियमित अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा-457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित पाये जाने पर आरोप-पत्र पेश होने पर उक्तानुसार प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त बुद्धराम को धारा–457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

7. अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

8. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने कड़ीबद्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा मामले को संदेह से परे साबित किया है। अतएव अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

9. इसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किये हैं कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा फर्द जप्ती परीक्षित नहीं करवाई गई है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को परीक्षित नहीं करवाया जा सका है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धी साबित नहीं करती है। अंत में निवेदन किया कि अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

10. उभय पक्ष को सुनने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु उत्पन्न होते हैंः–

(1) क्या अभियुक्त बुद्धराम ने दिनांक 21 व 22.07.2011 की रात्रि किसी समय खाजपुर नया की रोही में कुलोद खुर्द से झुंझुनूं से इण्डाली सड़क मार्ग के पास अवस्थित अभियोगी मकबूल के कब्जे की शराब की दुकान में चोरी करने के आशय से शटर का कुंदा तोड़कर दुकान में प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन का अपराध कारित किया हो एवं अभियोगी के कब्जे की दुकान में से 30 पेटी देशी शराब, 6 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 पेटी बीयर व 1000–1200 रूपये नकद बेईमानीपूर्वक बिना सम्मति के हटाकर चोरी किए हों?

(2) यदि हां तो अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

11. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 05 गवाहों को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण परिवादी मकबूल द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 की तहरीरी रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने दौराने सशपथ न्यायालय बयान अभिकथन किए हैं कि दिनांक 21.07.2011 को वह कुलोद खुर्द ग्राम पंचायत खाजपुर में अंग्रेजी और देशी शराब के ठेके पर सर्विस मैन का काम करता था।

दिनांक 21.07.2011 की रात को आठ बजे वह दुकान बढ़ाकर पड़ोसी रवि के घर पर सोने के लिए चला गया था। फिर 22.07.2011 की सुबह जब 6 बजे वह दुकान पर आया तो देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए थे। जिसकी सूचना उसने ठेकेदार को सूचना दी। उसने आकर दुकान में देखा कि दुकान में 30 पेटी देशी शराब की, 10 पेटी अंग्रेजी व 2 पेटी बीयर की व 1000-1200 रूपये गायब मिले। इसकी रिपोर्ट उसने दर्ज करवाई थी। जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही पुलिस के नीचे भी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए हैं कि चोरी किसने की उसको नहीं पता। रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 उसने स्वयं ने नहीं लिखी थी। ये रवि, मुकेश, दलीप और मुनीम ने लिखी थी तथा उनके कहने पर ही वह तो केवल हस्ताक्षर किए थे।

12. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 03 मुकेश कुमार ने अपने सशपथ न्यायालय बयानों में अभिकथन किए हैं कि दिनांक 21.07.2011 को वह देशी अंग्रेजी शराब की कम्पोजिट दुकान, खाजपुर नया पंचायत की कुलोद खुर्द गांव में झुंझुनूं से चनाना रोड़ पर स्टेण्ड पर स्थित गुलजारी के खेत में था। उसकी वह देखभाल करता था। उस पर मकबुल निवासी मुकुदगढ़, झुंझुनूं सैल्समेन के रूप में कार्य करता था। दिनांक 21.07.2011 की रात को आठ बजे शराब की दुकान बंद करके मकबूल को उसने उसके मित्र गुलजारी के खेत में जो मकान है उसका नाम रविंद्र जो गुलजारी का लड़का है, उसके पास छोड़कर अपने घर पर आ गया था। अगले दिन सुबह 06:15 बजे मकबूल का उसके पास फोन आया कि अपनी शराब की दुकान के ताले टूटे हुए हैं। जब वह अपनी गाड़ी लेकर वहां गया तो वहां पर मकबुल और रविंद्र दोनों खड़े थे और शराब की दुकान के ताले टूटे हुए थे। फिर उसने अपने फोन से सदर थाना, झुंझुनूं को बताया कि दुकान में चोरी हो गई है। कुछ देर बाद सदर थाना से हवासिंह जी एएसआई और गाड़ी चालक भूपेंद्र आए। उस समय उनका मुनीम जिसका नाम उसे याद नहीं है इसलिए वह यह निश्चित नहीं कर सके कि कितनी मात्रा में चोरी हुई जब वह आया तो उसने बताया कि 30 पेटी देशी मदिरा, 6 पेटी अंग्रेजी, 2 पेटी बीयर और 1000-1200 रूपये नकद चोरी हो गए। मुकदमा मकबुल ने दर्ज करवाया। मुनीम के समय पर नहीं आने के कारण मुकदमा दर्ज करवाने में देरी हो गई। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात पुलिन से नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-03 मौके पर बनाया था जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए हैं कि वह नहीं बता सकता कि शराब कौनसे ब्रॉण्ड की थी मुनीम बता सकता है। चोरी किसने की वह यह भी

नहीं बता सकता है। गवाह ने यह सुझाव भी स्वीकार किया है कि वह मुलजिमान को नहीं जानता है और उसके सामने कोई बरामदगी नहीं हुई।

13. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 05 जगदीश प्रसाद ने दौराने मुख्य परीक्षण अभिकथन किए हैं कि दिनांक 13.11.2011 को वह पुलिस थाना सदर झुंझुनूं में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ साहब के अवकाश पर जाने के कारण मुकदमा संख्या 116/11 धारा 457, 380 भादस की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु सुपुर्द की थी जो पूर्व से एसएचओ साहब श्री सुरेंद्र सिंह देगड़ा अनुसंधान कर रहे थे। दौराने अनुसंधान उसने अभियुक्त सुमेर को जरिए फर्द प्रदर्श पी 7 के गिरफ्तार किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी स्थान मुलजिम सुमेर सिंह के हस्ताक्षर है। ई से एफ और जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम सुमेर सिंह ने उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की इत्तिला प्रदर्श पी–08 दी थी जिस पर ए से बी उसके और सी से डी स्थान पर मुलजिम सुमेर के हस्ताक्षर है। तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–04 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है और ई से एफ सुमेर के हस्ताक्षर है। ए से बी और जी से एच स्थान पर गवाहान के हस्ताक्षर है। मुलजिम सुमेर ने अपने घर से 48 पव्वे देशी मदिरा के बरामद करवाए थे जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–05 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ स्थान पर सुमेर के हस्ताक्षर है और ए से बी और जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर है। नक्शा मौका व हालात मौका बरामदगी स्थल शराब का नक्शा मौका प्रदर्श पी–06 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ स्थान पर मुलजिम सुमेर के हस्ताक्षर है और ए से बी और जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात एसएचओ साहब अवकाश से वापस आने पर पत्रावली सुपुर्द की गई।

14. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 02 दयाचंद नक्शा मौका प्रदर्श पी.04, नक्शा मौका फर्द प्रदर्श पी.05 एवं नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.06 का गवाह है। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 04 प्रदीप कुमार नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 का गवाह है।

15. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो न्यायालय को अवधार्य बिंदु के संबंध में प्रथमतः फर्द जप्ती के तथ्य को देखा जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि पत्रावली पर फर्द जप्ती प्रदर्श पी.05 उपलब्ध है, परंतु उक्त फर्द जप्ती अभियुक्त बुद्धराम से संबंधित नहीं है। अभियुक्त बुद्धराम के कब्जे से कोई भी जप्ती की गई हो इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उक्त के संबंध में मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि परिवादी मकबूल को गवाह पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने दौराने मुख्य

परीक्षण दुकान जिसमें वह सेल्समैन का कार्य करता है उसमें चोरी होने बाबत साक्ष्य दी है। उक्त गवाह ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए हैं कि चोरी किसने की उसको नहीं पता। रिपोर्ट भी उसने नहीं लिखी थी इत्यादि। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य मौखिक साक्षीगण की साक्ष्य का सिंहावलोकन करने से प्रतीत होता है कि अन्य किसी भी साक्षी की साक्ष्य में कथित आरोपी बुद्धराम के चैतन्यशील कब्जे से चोरीशुदा शराब बरामद की गई हो ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। प्रकरण में पूरा अनुसंधान करने वाले अनुसंधान अधिकारी को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया जा सका है। हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू. 05 जगदीश प्रसाद जिसने सुरेंद्र सिंह देगड़ा की अनुपस्थिति में अनुसंधान किया था को पेश कर परीक्षित करवाया गया है को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने कथित आरोपी बुद्धराम से अनुसंधान के संबंध में इतिश्री कथन भी नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है जिससे कि अभियुक्त द्वारा उक्त शराब की चोरी किया जाना साबित होता हो। आपराधिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को चोरी के प्रकरणों में अभियुक्त पर दाण्डिक दायित्व अधिरोपित करने के लिए सर्वप्रथम फर्द जप्ती को संदेह से परे साबित करना होता है। हस्तगत प्रकरण में तो कथित आरोपी बुद्धराम के कब्जे से फर्द जप्ती ही नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को भी बाद पर्याप्त अवसर न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया जा सका है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में फर्द जप्ती ही साबित नहीं हो पाई है अतएव अन्य तथ्यों की विवेचना करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में ठोस, कड़ीबद्ध एवं सम्पुष्टीकारक साक्ष्य पेश कर परीक्षित करवाने में पूर्णतः असफल रहा है और मामले को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

16. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पर दाण्डिक दायित्व अधिरोपित करने के लिए मामले को संदेह से परे साबित करना होता है, परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है कि अभियुक्त बुद्धराम ने दिनांक 21 व 22.07.2011 की रात्रि किसी समय खाजपुर नया की रोही में कुलोद खुर्द से झुंझुनूं से इण्डाली सड़क मार्ग के पास अवस्थित अभियोगी मकबूल के कब्जे की शराब की दुकान में चोरी करने के आशय से शटर का कुंदा तोड़कर दुकान में प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन का अपराध कारित किया हो एवं अभियोगी के कब्जे की दुकान में से 30 पेटी देशी शराब, 6 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 पेटी बीयर व 1000–1200 रूपये नकद बेईमानीपूर्वक बिना सम्मति के हटाकर चोरी किए हो। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त बुद्धराम को

आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––००आदेश००––

17. परिणामतः अभियुक्त **बुद्धराम** पुत्र रोहिताश जाट, उम्र 25 साल, निवासी कुशलवाली ढाणी, पुलिस थाना नीम का थाना, जिला सीकर (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–**457, 380 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। प्रकरण के अन्य अभियुक्त महेंद्र पुत्र कृष्ण के विरूद्ध दिनांक 20.09.2017 को आपराधिक कार्यवाही उपशमनित की जा चुकी है एवं अभियुक्तगण सुमेर, सुरेश उर्फ पप्पू एवं अभियुक्त महेंद्र पुत्र गोकुल प्रकरण में मफरूर हैं।

18. अभियुक्त की उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र तत्क्षण भार से उन्मोचित किए जाते हैं। अभियुक्त द्वारा धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 06 माह की अवधि के लिए राशि 10,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू प्रस्तुत करे।

(जया सैनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

19. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2025 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जया सैनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं